न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम,

मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0	:	288 / 2026
सीआईएस नम्बर	:	531 / 2026

1. राहुल बागड़ा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा प्रोपराईटर श्रीनारायण ज्वैलर्स, निवासी 38, अग्रसेन विस्तार महेश नगर फाटक के पास, जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
2. राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा प्रोपराईटर राकेश ज्वैलर्स, निवासी वार्ड नम्बर 22, पांच बत्ती टिटेड़ा, बालाजी मन्दिर के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान प्रान्त।
3. विनीत ओढ़ाका पुत्र श्री विश्वनाथ ओढ़ाका प्रोपराईटर श्याम ज्वैलर्स, निवासी वार्ड नं0 20, ब्रहमपुरी मोहल्ला, खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान प्रान्त।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

.....अप्रार्थी

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0
एफआईआर सं0 40 / 2021 पुलिस थाना एयरपोर्ट, जयपुर
अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भा0दं0सं0

उपस्थितिः–

1. श्री जगत शर्मा, श्री मनोज कुमावत, सरोज शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी सरकार।
3. श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता वास्ते परिवादी पक्ष।

:: आदेश :: **दिनांक : 19.06.2026**

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से अंतर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत पुलिस थाना एयरपोर्ट, जयपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40 / 2021, अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा0दं0सं0 में अपनी सम्भावित गिरफ्तारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर

किया गया। प्रार्थनापत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। केस डायरी तलब की जाकर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी श्री रामखिलाड़ी मीणा पुत्र श्री चिरंजीलाल मीणा उम्र 71 वर्ष निवासी बी–3, अमर बिलास. 30 फीट रोड़, सिद्धार्थ नगर, जयपुर का परिवाद श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्व जयपुर, राज के कार्यालय से जरिये डाक पुलिस थाना एयरपोर्ट पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थी का जमीनों का कारोबार है, प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के प्लॉटस क्रमशः बी–02, बी–03, बी–04 एवं बी–05 श्रीराम विहार, बी ब्लॉक, सवाई गैटोर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित हैं, इन प्लॉटस पर प्रार्थी द्वारा कोलोब्रेशन में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। प्रार्थी को अपने कारोबार के लिये भूमि, जमीन खरीदने एवं उसके विकास अथवा निर्माण के लिये समय समय पर रूपयों की आवश्यकता पड़ती रहती है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा दीगर लोगों से रूपये ब्याज पर उठाकर भूमि भवन के विकास कार्य में रूपया लगाना पडता है, प्रार्थी के परिचित व्यक्ति श्री नितेश पालीवाल पुत्र श्री आनन्द बिहारी पालीवाल निवासी चौड़ा रास्ता जयपुर तथा अनिल अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल अग्रवाल निवासी भान नगर, वैशाली नगर, जयपुर है जो कि फाईनेन्स उपलब्ध कराने का काम करते है, जिन्होंने प्रार्थी की उपरोक्त प्रॉपर्टी देखकर प्रार्थी से कहा कि वो उन्हें उनके 5 फ्लेटों पर 4 करोड तक 1 रूपया मासिक ब्याज दर पर फाईनेन्स करा देंगे, प्रार्थी द्वारा सहमति देने पर उन्होंने उनके फाईनेन्सर श्री गिर्राज शर्मा पुत्र श्री नवरतन शर्मा निवासी प्लॉट सं. 1–ए, दीपक कॉलोनी, बरकत नगर, लवकुश नगर–2 के पास, जयपुर को प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति दिखाई, श्री गिर्राज शर्मा जो लोगों को रूपयों की सिक्यूरिटी लेकर रूपये उधार देने का काम करते हैं। गिर्राज शर्मा को प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित प्रॉपर्टी पसन्द आने पर श्री नितेश पालीवाल एवं अनिल अग्रवाल ने प्रार्थी को उनके फाईनेन्सर श्री गिर्राज शर्मा से दिनांक 01.03.2021 को मुलाकात कराई गई, तब उनके समक्ष श्री गिर्राज शर्मा द्वारा प्रार्थी की प्रॉपर्टी का 3 करोड़ का वैल्यूएशन लगाकर प्रार्थी के कुल 2.50 करोड रूपये 1 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर देना तय पाया गया सिक्यूरिटी में प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित फ्लेटों में से 3 फ्लेटों क्रमशः 101, 102 व 103 का हस्तांतरण श्री गिर्राज शर्मा के हक में निष्पादित करना तय पाया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा श्री अमित खंगार से उपरोक्त वर्णित फ्लेटों के बेचान का अनुबंध किया हुआ था, जिस पर आवास बैंक से ऋण लिया गया था, जो कि तत्समय

50 लाख रूपये था, उसकी अदायगी भी इस 2.50 करोड़ रू की राशि में से श्री गिर्राज शर्मा द्वारा किया जाना तय पाया गया व शेष राशि 2 करोड़ रू प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना तय पाया गया। उपरोक्त समस्त शरायते प्रार्थी एवं गिर्राज शर्मा के मध्यस्थ श्री नितेश पालीवाल एवं अनिल अग्रवाल के तय पायी गई थी। चूंकि प्रार्थी को उस समय रूपयों की सख्त आवश्यकता थी इस कारण प्रार्थी द्वारा श्री गिर्राज शर्मा की प्रत्येक शर्त को स्वीकार कर लिया गया। उसके पश्चात् गिर्राज शर्मा के कहे अनुसार श्री एन0आर0 खंगार (अमित खंगार के पिता) के समक्ष दिन 03 मार्च 2021 को प्रार्थी एवं उसके परिजनों द्वारा श्री गिर्राज शर्मा एवं उनकी माता श्रीमती मालती शर्मा के हक में उक्त फ्लेटों में से फ्लेट संख्या 102 व 103 प्रथम् फ्लोर, रायल ओरनेट स्थित प्लॉट सं. बी–02, बी–03, बी–04 एवं बी–05 श्रीराम विहार, बी ब्लॉक, सवाई गैटोर, जयपुर का उपहार पत्र पंजीबद्ध कराया गया। इसके अलावा फ्लेट सं. 101 का विक्रय पत्र गिर्राज शर्मा के पक्ष में 23,31,000/–रू के प्रतिफल पेटे दिखाकर विक्रय पत्र, पंजीबद्ध कराया गया, बरवक्त सिक्यूरिटी पेटे कराये गये पंजीयन के समय श्री गिर्राज शर्मा द्वारा प्रार्थी को मात्र 23,31,000/–रूपये जरिये चैक अदा किये गये व 6,70,000/–(छः लाख सत्तर हजार रूपये) नगद व 2.20 करोड़ (अक्षरे दो करोड़ बीस लाख) थोडे समय में देने का आश्वासन देकर वहां से चले गये। उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा बार बार सम्पर्क करने एवं शेष ऋण राशि प्रदान करने का निवेदन करने के बावजूद आज दिन तक गिर्राज शर्मा द्वारा प्रार्थी को कभी किसी भी प्रकार से तयशुदा ऋण राशि अदा नहीं की गई व ना ही अमित खंगार के आवास बैंक के ऋण को चुकाया गया। जब इस सम्बन्ध में प्रार्थी एवं उनके मध्यस्थ श्री नितेश पालीवाल जी एवं अनिल पालीवाल द्वारा बार–बार अनुनय विनय करने पर वे हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाला जाता रहा है. जब इतने अनुनय विनय करने के बावजूद उनके द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गई तो प्रार्थी द्वारा गिर्राज शर्मा द्वारा दी हुई 30,01,000/– रू (तीस लाख एक हजार रूपये) की राशि वापिस प्राप्त कर दुबारा प्रार्थी एवं उसके परिवार के हक में अनुबंधित फ्लेटों की रजिस्ट्री कराने का निवेदन करने पर यह करने से भी स्पष्ट इन्कार कर दिया हैं। प्रार्थी को पता चला है कि वो आनन फानन से प्रार्थी द्वारा सिक्यूरिटी में कराये गये पंजीयन के आधार पर प्रार्थी के फ्लेट दीगर व्यक्तियों को बेचने को आमादा है। गिर्राज शर्मा 30,01,000/–(तीस लाख एक हजार रूपये) रूपये की एवज में प्रार्थी के 4 करोड रूपये के फ्लेट हडपना चाहता है, जिसकी बदनियति उसकी प्रारम्भ से ही रही

है। इसी बदनियति से प्रार्थी को 2.50 करोड़ ऋण देने का झूंठा आश्वासन देकर प्रार्थी की सम्पत्ति को बदनियतिपूर्ण आशय से प्रार्थी के साथ धोखाधडी करते हुये अपने नाम हस्तांतरण करा ली। प्रार्थी को यह भी पता चला है कि गिर्राज शर्मा भू–माफिया एवं ब्याज माफिया व्यक्ति है, जिसने कई लोगों को छोटी छोटी रकमें देकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हुये उनकी मंहगी प्रॉपर्टी हडप कर जाता है.....इत्यादि।" उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40/2021, पुलिस थाना एयरपोर्ट, जयपुर में अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त होकर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ना तो एफआईआर में वर्णित सम्पत्तियों के संव्यवहार में किसी भी प्रकार से सम्मिलित है और ना ही उक्त एफआईआर में अभियुक्त के रूप में नामजद है। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उक्त एफआईआर में वर्णित सम्पत्तियों (फ्लैट्स) को क्रय करने के लिये गिरिराज शर्मा द्वारा अदा किये गये नकद रूपयों के स्त्रोत के बारे में जांच की तो गिरिराज शर्मा द्वारा पुलिस को बताया गया कि गिरिराज शर्मा व उसके परिवारजनों द्वारा अपनी गोल्ड ज्वैलरी प्रार्थीगण को विक्रय की गई थी, जिसके बिल्स प्रार्थीगण द्वारा जारी किये गये थे। अनुसंधान हेतु बुलाये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और सत्यतापूर्वक से यह बयान दिया कि उनके द्वारा गिरिराज शर्मा व उसके परिजनों की गोल्ड ज्वैलरी क्रय की गई है तथा अपने व्यापार के सामान्य क्रय में बिल्स जारी किये गये है। एकमात्र उक्त बिल्स के आधार पर पुलिस प्रार्थीगण को कूटरचना के अपराध में आरोपित करना चाहती है। प्रार्थीगण द्वारा जारी बिल्स पूर्णतः सही व नियमानुसार है। प्रार्थीगण द्वारा किसी दस्तावेज की कूटरचना नहीं की गई है। प्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण के भागने या फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण पुलिस अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष एवं अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत

प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आरोपी राकेश कुमार शर्मा के विरूद्ध पूर्व का एक प्रकरण सन् 2012 का आरपीजीओ से सम्बन्धित होकर निर्णय हो जाना बताया गया है एवं अन्य आरोपीगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना बताया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित होना तथ्यात्मक प्रतिवेदन में अंकित किया गया है। परन्तु मात्र जीएसटी नं0 अंकित न होने व रजिस्ट्रेशन न होने से कूटरचना सम्बन्धी अपराध प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं हो रहा है व जहां तक छल का प्रश्न है परिवादी के साथ छल किये जाने सम्बन्धी सामग्री भी पत्रावली का भाग नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में प्रार्थीगण की फर्मो को अन्य अभियुक्त गिरिराज शर्मा व उसके परिवारजनों द्वारा गोल्ड ज्वैलरी विक्रय किया जाना बताया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा किस प्रकार मिलीभगत कर कूटरचित बिल तैयार किये गये एवं उन्हें क्या सदोष लाभ प्राप्त हुआ, यह अनुसंधान पत्रावली से दर्शित नहीं हो रहा है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष होना वर्णित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया जा रहा हो ऐसा भी कोई तथ्य अनुसंधान पत्रावली से दर्शित नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये, प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

7. परिणामतः प्रार्थीगण राहुल बागड़ा, राकेश कुमार शर्मा एवं विनीत ओढ़ाका की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40/2021, पुलिस थाना एयरपोर्ट, जयपुर पूर्व अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा0दं0सं0 में प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में गिरफ्तार

किये जाने की सूरत में प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/–रूपये का बंध पत्र व इसी राशि की विश्वसनीय जमानत इन शर्तो के साथ कि :–

(1)– अभियुक्त/प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे एवं अपने कब्जे में जो भी अभिलेख है, अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

(2)– अभियुक्त/प्रार्थी मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

(3)– अभियुक्त/प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।

प्रस्तुत कर अनुप्रमाणित करवा दे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति केस डायरी के साथ थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को भिजवाई जावे।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

8. आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर